संख्याः- 3035 / II-2004-04-(58)/03

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरॉचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग

देहरादून, दिनांक 16 अगस्त, 2004

विषयः- जनपद हरिद्वार में भोगपुर से बालावाली तक गंगा नदी से बाढ़ सुरक्षा कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1798/मु0अ0वि0/बजट/बी-1 (योजना) दिनांक 16.06.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "**जनपद हरिद्वार में भोगपुर से बालावाली तक गंगा नदी से बाढ़ सुरक्षा कार्य**" की योजना जिसका अनुमोदन बाढ़ नियन्त्रण परिषद की 73 वीं बैठक दिनांक 31.05.2000 में किया गया है को वित्त पोषण हेतु अंगीकृत किया गया है। उक्त योजना के रू0 1388.59 लाख के आगणन के टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत रू0 1192.00 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ बयान्वे लाख मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

1- उक्त बाढ़ योजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इस बाढ़ योजना के आगणन पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त कार्य के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियम, मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेश एवं शासन द्वारा इस विषय में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाय।

3- स्वीकृत की जा रही बाढ़ योजना का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाय।

4- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है कि स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होंगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.....2

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एकमुस्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व निस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

9– कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर एवं लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भान्ति निरीक्षण उच्चा अधिकारियों से आवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

11– निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग कराकर उपयुक्त पायी जाने पर ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

12– योजना के लिए धनावंटन तभी किया जायेगा जब भारत सरकार द्वारा योजना के विरूद्ध केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त की जावेगी, उसी के अनुरूप केन्द्रांश एवं राज्यांश अवमुक्त किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय पत्र संख्या 688/वि0अनु0–03 /2004 दिनांक 11.08. 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव

संख्याः– 3635 /।।–2004–04–(28)/03तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, ओकले मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3, उत्तरॉचल शासन।
3– कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तरांचल।
5– नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरॉचल शासन।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तरॉचल।
8– गार्ड फाईल।

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव